न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी कायम अपील वाद संख्या–38/2013–14

शेख अनवर बनाम सैयद मोहम्मद अली एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

05.08.15

आदेश

अपीलार्थी शेख अनवर पे0–स्व0 समी अहमद, साकिन–मुश्कीपुर, थाना–गोगरी, जिला–खगडिया ने 01.सैयद मोहम्मद अली पे0–स्व0 जमाल उद्दीन, 02.आलीया खातुन पति–स्व0 फखरूल हसन, 03.तकी हसन पे0–स्व0 फखरूल हसन, सभी साकिनान–मुश्कीपुर, थाना–गोगरी जिला–खगड़िया को उत्तरवादी पक्षकार बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा जमाबंदी कायम वाद संख्या–06/2009–10 में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील वाद लाया है।

अपीलार्थी का कहना है कि उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में जमाबंदी कायम वाद संख्या–06/2009–10 निम्नलिखित भूमि हेतु दाखिल किया था :–

मौजा	तौजी	थाना	खाता	खेसरा	रकवा वि0क0धू0धूरकी
मुश्कीपुर	3339	318	277	768	06–0–0–0
			277	826	00–15–0–0

अपीलार्थी का कहना है कि उनके वंशज विपक्षी संख्या–01 के वंशज के नौकर थे। उसके एवज में विपक्षी संख्या–01 के वंशज ने उपर्युक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी के वंशज को दे दिया, परन्तु खतियान में विपक्षी संख्या–01 के वंशज का नाम में गलती थी, इसलिए अपीलार्थी के वंशज ने उसे सुधार हेतु आपत्ति आवेदन दिया, जिसके एवज में तनाजा खतियान तैयार हुआ तथा प्रकाशित भी हुआ, तबसे अपीलार्थी अपने परिवार के साथ विवादित भूमि पर लगातार दखलकार चले आ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि आयुक्त, भागलपुर के निदेश पर अपर समाहर्त्ता, सामान्य जमींदारी उन्मूलन मुख्य प्रमंडलीय विभाग प्रभारी भागलपुर ने एक वाद संख्या–44/1953–54 13/1955–56 प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य सरवस्ता खतियान दिनांक 06.10.1955 तक को मोहरित करना था, तदनुसार सरवस्ता खतियान तैयार किया गया तथा उसे मोहरित भी किया गया, तथा दिनांक 17.12.1952 को इस संबंध में अंतिम डिक्री भी पारित किया गया।

अपीलार्थी आगे कहते है कि उसी सरवस्ता खतियान के अनुसार मौजा–मुश्कीपुर के खाता नं0–277 के खेसरा 768 मिलजुमला रकवा 06 बीघा तथा खेसरा संख्या–826 मिलजुमले 15 कट्ठा खिदमतिया जागीर वास्ते शेख मोहम्मद रागी अहमद पे0–शेख जमीर अहमद, साकिन–मुश्कीपुर के नाम अभिलिखित हुआ। इसमें उक्त वर्णित भूमि को तनाजा खतियान वर्ष 1904 में रैयती घोषित किया गया तथा रिटर्न–01 फसली वर्ष 1362 में

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहि 3.

लगान निर्धारित किया गया।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि स्व0 समी अहमद जानकारी के अभाव में बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबदी कायम नहीं करा सका, जिसकी जानकारी उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अपीलार्थी शेख अनवर को जब इस बात की जानकारी हुई, तो सारा कागजात की सच्ची प्रति प्राप्त कर जमाबंदी कायम वाद संख्या–06/2009–10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में दायर किया गया, परन्तु विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने उनके द्वारा दाखिल कागजात को नजरअंदाज कर अवैध रूप से उनका वाद खारिज कर दिया।

अपीलार्थी ने निम्नलिखि कागजात दाखिल किया है–

01. न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, भागलपुर का वाद संख्या–44/1953–54
13/1955–56 के आदेश की छायाप्रति।

02. रजिस्टर–i–जमाबंदी–रजिस्टर अथवा रैंट रौल, थाना–318, मौजा–मुश्कीपुर, तौजी–3339 की छायाप्रति, जिसमें निर्गत करने वाले कार्यालय का मुहर अपठनीय है।

03. तौजी नं0–3339 खतियान सरवस्ता सुधार केश नं0–02, 03 की छायाप्रति, जिसमें निर्गत करनेवाले कार्यालय का मुहर अपठनीय है।

विपक्षी ने जबाब दाखिल कर कहा है कि अपीलार्थी ने वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये बिना ही अपील वाद दायर किया है जो खारिज योग्य है। हस्तक्षेपक स्वंय इस वाद में पक्षकार न्यायालय के स्वीकृति के पश्चात बना है। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, गोगरी ने खेसरा संख्या–768 की जमाबंदी संख्या–53 पूर्व से कायम है, प्रतिवेदित किया है तथा इस कारण नयी जमाबंदी का सृजन नहीं हो सकता है। मतव्य दिया है। इसलिए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने जमाबंदी कायम वाद संख्या 06/2009–10 यथार्थ रूप से खारिज किया है। इसके अतिरिक्त खेसरा संख्या– 826 के रकवा में भी अंचल अमीन और अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार अंतर है तथा अपीलार्थी के पास उसका कोई भी कागजात नहीं है, इसलिए उनका दावा को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने विधिवत् खारिज कर दिया है।

हस्तक्षेपकगण ने जबाब दाखिल कर कहा है कि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार हस्तक्षेपकगण अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलिखित है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने विधिवत् अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया है।

हस्तक्षेपक आगे बताते है कि आवश्यक कागजात के साथ उन्होंने विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दाखिल किया था, जिसपर अंचल अधिकारी, गोगरी से प्रतिवेदन मांगा गया था। अंचल अधिकारी, गोगरी ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रतिवेदित करते हुए यह प्रतिवेदन भेजा था, कि चूंकि उत्तरवादी एवं हस्तक्षेपक के नाम से विवादित भूमि की जमाबंदी पूर्व से कायम है, इसलिए नयी जमाबंदी कायम करना कानून के विरूद्ध होगा और इसी आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया है।

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–स
1.	02.	3.

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के जमाबंदी कायम वाद संख्या-06/2009-10 का अवलोकन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अपने आदेश में यह लिखा है कि *"अंचल अधिकारी, गोगरी से प्राप्त प्रतिवेदन में विसंगति को देखते हुए प्रश्नगत जमीन का पूर्व से जमाबंदी कायम रहने के कारण आवेदक का आवेदन–पत्र खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आवेदक चाहे तो अपने उपचार के लिए सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।"*

मौजा–मुश्कीपुर, खाता–277, खेसरा–768, 770 तथा 766 मिलजुमला 10 एकड 61 डिसिमल जमीन भूधारी सैयद जमाल उद्दीन अहमद के नाम दर्ज है, और भू–हदबंदी वाद संख्या–82/1975–76 में यह जमीन सन्निहित है, तथा धारा–15(1) के तहत अधिशेष घोषित है। इनका मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीण है। खाता–277 के खेसरा–826 अधिशेष घोषित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चूँकि अपीलार्थी ने अपने स्वत्व के दावे के संबंध में कोई भी यर्थार्थ तथा विश्वसनीय लेख्य(document) दाखिल नहीं किया है, इसलिए उनका दावा संदिग्ध प्रतीत होता है। साथ ही चूँकि विवादित जमीन से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीण है, इसलिए इस वाद में सन्निहित विवादित खसरा–768 की भूमि पर किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा पारित आदेश में भी माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रद्दोबदल करना विधि–सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C NO-3487/2015 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2015 एवं 11.05.2015 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को उसके मूल अभिलेख के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे। साथ ही एक प्रति जिला के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

25/7/15 — अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

5/8/15 — अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

ज्ञा० सं०– 304 दिनांक 17.8.20[illegible]

प्रतिलिपि: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/साथ ही L.C.R वापस किया जाता है।

प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: N.I.C खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

17/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

अपर जिला दण्डाधिकारी, समाहरणालय, खगड़िया